हेतु आगामी दिनांक 25.11.22 को पेश हो।

25.11.22 पत्रावली पेश। वादी अधिवक्ता अनु वादी अधिवक्ता पूर्व तारीख पेशी पर भी अनुपस्थित। आज न्यायालय के बाहर कम-कम कर तीन बार आवाज लगाई गई कोई उप. नहीं हुआ, वादी वाद को लेकर गंभीर नहीं। अतः पत्रावली अदम पैरवी में खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर पालिका दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवाड़ी